

न्यायालय— द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला—भिण्ड

(समक्ष : पी०सी०आर्य)

विविध व्यवहार अपील क्रमांक: 1/2014संस्थापन दिनांक 09.12.2013

1. सुरेशचन्द्र बंसल, पुत्र—बृजलाल,
आयु—57 साल, निवासी गोहद
हाल मकान नं० 391, सुरेश नगर, थाटीपुर,
ग्वालियर
2. अशोक कुमार,, पुत्र—बृजलाल, आयु—60 साल,
निवासी नर्मदा कालोनी, बरादरी चौराहा, -----अपीलार्थी / प्रतिवादी
मुरार, ग्वालियर

वि रू द्ध

राधेश्याम, पुत्र—बृजलाल,
आयु—59 वर्ष, निवासी वार्ड नं०—11,

सदर बाजार, गोहद, जिला—भिण्ड म०प्र०

-----प्रत्यर्थी / वादीगण

न्यायालय—द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—दो, गोहद
द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक— 63ए/13 में पारित
आदेश दिनांक 22.11.2013 से उत्पन्न विविध व्यवहार अपील।

अपीलार्थीगण द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित
प्रत्यर्थी द्वारा श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता उपस्थित

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26 जुलाई, 2014 को खुले न्यायालय में पारित)

1. अपीलार्थी/प्रतिवादी ने यह अपील श्री एस० के०तिवारी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग दो, गोहद द्वारा अपने न्यायालय के व्यवहार वाद क्रमांक—63ए/13 में दिनांक 22.11.13 को पारित आदेश, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र आवेदन—पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 स्वीकार किया गया है, से असंतुष्ट होकर पेश की है।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई हैं और बृजलाल के पुत्र है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वाद ग्रस्त सर्वे नं० 506 रकवा 0.56, 507 रकवा 1.024 हेक्टर किता 2 कुल रकवा 1.588 हेक्टर बॉके मौजा गोहदी तहसील गोहद में स्थिति है। उक्त सर्वे नम्बर का बंदोवस्त पश्चात नया सर्वे नं० 528 रकवा 1.48 निर्मित हुआ। जो विवादित है। विवादित भूमि का पूर्व सर्वे नम्बर और उसका रकवा भी स्वीकृत है तथा विवादित भूमि का पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 30.04.1985 को प्रतिवादी/अपीलार्थी क्रमांक 1 व 2 के नाम से होना ओर विक्रेता बदनसिंह होना भी स्वीकृत है।

3. विचारण न्यायालय में वादीगण/प्रतिवादीगण सुरेशचंद्र एवं अशोक कुमार द्वारा अपीलार्थी/प्रत्यर्थी राधेश्याम के विरुद्ध स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत किया जाकर एक आवेदन-पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण के पिता स्व० बृजलाल गोहद के निवासी थे जिनका सोने चांदी का व्यवसाय था और वादी/अपीलार्थी एवं प्रतिवादीगण अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बंटाते थे। पिता द्वारा दुकान की अर्जित आय से ही विवादित भूमि बदनसिंह निवासी गोहद से दिनांक 30.04.1985 को रजिस्टर्ड वयनामा द्वारा क्रय की थी। जिनका देहान्त 09.10.2001 को हो गया था। उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से खेती करते रहे। किन्तु प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति आ गई इसलिए प्रतिवादीगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का लाभ उठाते हुए वादीगण को विवादित जमीन से मेहरूम करना चाहते हैं, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादी को जमीन विक्रय करने से रोका है। उक्त भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा है। वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन है। अतः वादीगण ने प्रतिवादी के विरुद्ध विवादित भूमि का बंटवारा कराये जाने, किसी को विक्रय अथवा अंतरित न किए जाने हेतु दावा पेश किया।

4. प्रतिवादीगण द्वारा अपने आवेदन जवाब में आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए यह व्यक्त किया गया है विवादित संपत्ति उसने स्वअर्जित आय से क्रय की है। प्रतिवादी क० 2 टयूशन का काम करता था जिससे आय होती थी। उक्त संपत्ति उसने स्वअर्जित आय से क्रय की है। वादी कोई काम नहीं करता था बल्कि पिता पर आश्रित रहा। वादी द्वारा संपत्ति को हड़पने के लिए तहसील न्यायालय गोहद में यहाँ तक कह दिया कि उसके अलावा अन्य कोई भाई बहन नहीं है। जो संपत्ति उसे माता-पिता के नाम से प्राप्त हुई उसका वह विक्रय कर चुका है। प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिए झगडालू व्यक्तियों को पॉवर ऑफ एटर्नी देकर झूठा दावा पेश किया है। अतः दावा सव्यय निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

5. यह अपील मुख्य रूप से इस आधार पर पेश की गई है कि प्रश्नाधीन आदेश विधि विधान के विपरीत है। प्रथम दृष्टया मामला प्रतिवादीगण के पक्ष में रहा है। मौके पर वादी का कोई कब्जा नहीं है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि प्रतिवादीगण ने उक्त जमीन 1985 में खरीदी थी और दावा 2013 में पेश किया गया है। वादी ने झूठे शपथपत्र पेश किए हैं। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि विक्रय धन बृजलाल की दुकान से अदा किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन नहीं किया गया है तथा विवादित संपत्ति पर वादी/प्रत्यर्थीगण का कब्जा मानने में त्रुटि की गई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नाधीन आदेश अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

6. प्रत्यर्थी/वादीगण की ओर से प्रश्नाधीन आदेश में हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता न होना व्यक्त किया गया है।

7. विचारणीय प्रश्न यह है कि –

1. “क्या आक्षेपित आदेश विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने तथा प्रत्यर्थी/वादीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र निरस्त किए जाने योग्य है ?”

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

8. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। वादी/प्रत्यर्थी राधेश्याम द्वारा मूल वाद विवादित भूमि के संबंध में उसे संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैत्रक संपत्ति की आय से प्रतिवादी/अपीलार्थीगण के नाम से पिता स्वर्गीय बृजलाल द्वारा बेनामी रूप से कयशुदा जायदाद बताते हुए उसे अविभाजित संपत्ति होना प्रकट कर स्वत्व घोषणा और स्थाई निषेधाज्ञाका वाद पेश करते हुए वादग्रस्त भूमि में अन्य भाईयों के साथ 1/4 भाग स्वामित्व ओर आधिपत्य होने तथा उसी अनुरूप घोषणा की मूल सहायता चाही। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की ओर से वादी के वादाधारों का खंडन करते हुए मूलतः यह प्रकट किया गया है कि विवादित भूमि न तो पैत्रक संपत्ति है और न पैत्रक संपत्ति की आय से कयशुदा संपत्ति है बल्कि उनकी स्वअर्जित संपत्ति है जैसा कि अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक-1 सुरेशचंद्र ने अपनी पत्नी के स्त्री धन से ओर अपीलार्थी/प्रतिवादी क्र02 अशोक कुमार ने ट्यूशन करके धन उर्पाजन से कय करना बताया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में पेश किए गये दस्तावेजों, शपथपत्रों और अभिवचनों के आधार पर प्रथमदृष्ट्या विक्रय को निषेधित करने के संबंध में मामला पाते हुए आलोच्य आदेश पारित किया जिसमें प्रतिवादी/अपीलार्थीगण आधिपत्य राजस्व अभिलेख के आधार पर माना है।

9. प्रतिवादी/अपीलार्थीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में भी स्वअर्जित संपत्ति बताई है तथा संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई अस्तित्व न होना लेख किया है ओर तर्कों के समर्थन में एक न्यायदृष्टांत धर्मदेवसिंह राजपूत विरुद्ध कविन्द्रसिंह 2000(1) एम0पी0एच0टी0-180(डी0बी0) पेश किया है तथा वादी/प्रत्यर्थी के द्वारा पेश किए गये वहीखाते का कोई अस्तित्व न होना बताया है। यह कहा है कि विवादित भूमि का अपीलार्थी/प्रतिवादीगण ने पंजीकृत विक्रयपत्र कराया, और उपपंजीयक के समक्ष प्रतिफल राशि सुरेश के द्वारा दी जाना व्यक्त किया है जैसा कि विक्रयपत्र में दर्शित है ओर बदनसिंह व रामप्रकाश के शपथपत्रों को असत्य बताया है तथा विक्रयपत्र के 28 वर्षों बाद दावा किया जाना विधि द्वारा अवधिवाह्य कहा है। यह भी तर्क किया है कि सुरेश का व्यवसाय था और आय थी और वर्ष 1985 में वयस्क था तथा रामप्रकाश विक्रयपत्र का साक्षी नहीं है। जबकि वादी/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि वादी/प्रतिवादीगण का ओर उनका पिता का संयुक्त हिन्दू परिवार तथा व्यवसाय रहा है और पिता कर्ताखानदान थे तथा उनके वाद आधारों का खण्डन नहीं है। बदनसिंह उनके पिता का व्यवहारी था जिसका खाता चलता था इसलिए वहीखाता की नकल पेश की गई है ओर विक्रय रोके जाने का आदेश उचित है। उन्होंने अपने तर्कों में न्यायदृष्टांत पेश किए हैं जिसका आगे विश्लेषण ओर उल्लेख किया जावेगा।

10. उभयपक्ष द्वारा मूल अभिलेख पर जो अभिवचन, दस्तावेज, ओर शपथपत्र पेश किए गये हैं उनमें वादी/प्रत्यर्थी राधेश्याम के द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में विवादित भूमि के विक्रेता बदनसिंह का शपथपत्र पेश किया है जिसने अपने शपथपत्र में वादग्रस्त भूमि बृजलाल को विक्रय किया जाना और बृजलाल द्वारा उपपंजीयक के सामने ही 23000/-रुपये दिया जाना बताते हुए कहा है कि बृजलाल सोने-चांदी का व्यवसाय करते थे ओर उसका लेन-देन का व्यवसाय था जिन्होंने अपने लड़कों के नाम से वयनामा कराया था तथा सभी

शामिल शरीक रहते थे और उस समय अशोक पढता था, राधेश्याम और सुरेशचंद्र दुकान पर भी बैठते थे। रामप्रकाश ने अपने शपथपत्र में उभयपक्ष से पारिवारिक व घरु संबंध बताते हुए पड़ौसी होना अभिकथित करते हुए विक्रयपत्र उसके सामने होना और बृजलाल द्वारा रजिस्ट्रार के सामने 23000/-रुपये दिया जाना बताया है जो कर्ताखानदान था। उक्त दोनों शपथपत्रों में प्रतिवादी/अपीलार्थीगण की ओर से समुचित खंडन नहीं किया है। उन्होंने स्वयं का शपथपत्र अवश्य दिया है। प्रश्नगत भूमि के विक्रयपत्र के अनुप्रमाणक साक्षी राजा मोहम्मद कुरेशी और खुशहाल सिंह यादव तथा दस्तावेज लेखक हरीशंकर शर्मा था, जिनमें से किसी के द्वारा खण्डन में शपथपत्र प्रतिवादी/अपीलार्थीगण के पक्ष में पेश नहीं कराया गया है। लेकिन यह सही है कि विक्रयपत्र के पृष्ठ क्रमांक-2 के पृष्ठ भाग पर प्रतिफल की राशि 23000/-रुपये केता सुरेशचन्द्र के द्वारा दिया जाना अंकित है। लेकिन यह प्रश्न कि विक्रयपत्र में उल्लेखित उक्त बात सही है या शपथपत्रों के द्वारा कही गई बात सही है, यह जांच का विषय है और गुणदोषोंके आधार पर उसका निराकरण किया जा सकता है क्योंकि शपथपत्र में बदनसिंह जो वास्तविक विक्रेता था। ऐसे में उसके शपथपत्र को दृष्टिओझल वर्तमान परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता है।

11. प्रकरण में निराकरण के लिए जो यक्ष प्रश्न उत्पन्न है उनमें गुणदोषों पर यह देखा जावेगा कि क्या उभयपक्षकारों में संयुक्त हिन्दू परिवार रहा है, और वयनामें के समय स्वर्गीय बृजलाल कर्ताखानदान था और उनका संयुक्त व्यवसाय था या नहीं, तथा विवादग्रस्त भूमि बृजलाल के द्वारा बेनामी रूप से अपने पुत्रों के नाम से खरीदी गई या नहीं, और प्रतिफल किसके द्वारा कैसे एकत्रित किया गया, क्योंकि वादोत्तर में जो विशेष आपत्तियाँ की गई उनमें कुछ संपत्ति वादी के अकेले के नाम से कुछ संपात्ति जिसमें सीताराम का क्रय किया गया प्लॉट वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 के नाम से क्रय किया जाना स्वयं प्रतिवादी क्रमांक-2 अशोक कुमार द्वारा बताया गया है। यह जांच का विषय रहेगा कि अशोक कुमार वयनामें के समय धनोपार्जन ट्यूशन से करता था या नहीं और क्या सुरेशचंद्र की पत्नी के स्त्रीधन से भूमि खरीदी गई, तत्समय वादी की आय का जरिया क्या था वादी /प्रत्यर्थी द्वारा माता-पिता की संपत्ति का कोई व्ययन किया गया और वादी/प्रत्यर्थी राधेश्याम और पक्षकारों की माँ श्रीमती चन्द्रकली के मध्य बंटवारे का चले प्रकरण में राधेलाल का आचरण क्या इंगित करता है। पुस्तैनी जायदाद क्या थी क्या पक्षकारों के मध्य पैत्रिक जायदाद का कभी कोई बंटवारा हुआ या नहीं और वादी के द्वारा हिस्से से अधिक संपत्ति प्राप्त कर उसका व्ययन किया गया है अथवा नहीं, आदि प्रश्नों का गुणदोषों पर निराकरण होना है।

12. ऐसे में अंतरण को निषेधित करने संबंधी जो आलोच्य आदेश विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रसारित किया गया है वह अनुचित या औचित्यहीन नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि अपीलार्थी/प्रतिवादीगण ने भूमि के हस्तांतरण से इंकार नहीं किया है बल्कि वादी/प्रत्यर्थी को कोई अधिकार न होना मात्र कहा है, और ऊपर वर्णित जो न्यायदृष्टांत जो प्रतिवादी/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहाँ राजस्व अभिलेख में कतिपय सर्वे क्रमांक वादी प्रतिवादीगण के संयुक्त नाम से अभिलिखित हैं तो संयुक्त अविभक्त कुटुम्ब के स्वामित्व की संपत्ति के संबंध में अस्थाई व्यादेश स्वीकार किया जा सकता है किन्तु जहाँ कतिपय सर्वे नम्बर अनन्य रूप से

प्रतिवादीगण के नाम से अभिलिखित है तो उनके बाबत इस आशय की विधिक उपधारणा नहीं की जा सकती है कि ऐसी संपत्ति भी संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभक्त संपत्ति है और इस संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। जो कि पूर्णतः सर्वमान्य होकर यह न्यायालय भी उसका सम्मान करती है। किन्तु उक्त न्यायदृष्टांत की हस्तगत प्रकरण में प्रयोजिता का जहाँ तक प्रश्न है वह इस मामले में इसलिए लागू नहीं होता है कि वर्तमान प्रकरण में वादी/प्रत्यर्थी राधेश्याम अपने अभिवचनों में यह स्पष्ट आधार लेकर चला है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम से पिता बृजलाल द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से क़य की गई थी, जबकि न्यायदृष्टांत के मामले में जो अभिवचन किए गये हैं उसमें सर्वे नं० 157/7/1 और 157/7/2 की भूमि जो प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के नाम से रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा खरीदी गई थी उसके बाबत यह अभिवचन नहीं किया गया था कि वह संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से खरीदी गई थी जबकि इस मामले में ऐसा आधार लिया गया है। इसलिए उक्त न्यायदृष्टांत का प्रकरण में कोई लाभ अपीलार्थी/प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं होता है।

13. प्रत्यर्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश किए गये न्यायदृष्टांतों में बैतालसिंह एवं अन्य विरुद्ध श्रीलाल एवं अन्यद्वारा वारिसान 2007(4) एम०पी०एल०जे०-477 में यह मार्गदर्शित किया गया है कि यदि पक्षकार मिताक्षरा विधि के बनारस स्कूल से शासित होते हैं तो एक सहदायिक (कोपार्सनर) अन्य सहदायिकों की सहमति के वगैर सहदायिकी संपत्ति में उसके अविभाजित हित का अन्य संक्रमण नहीं कर सकते हैं और न्यायदृष्टांत ओमप्रकाश विरुद्ध राम आदि 2011(1) एम०पी०एल०जे०-264 में यह मार्गदर्शित किया गया है कि यदि संयुक्त अविभक्त कुटुम्ब होने और उसकी फर्म चलने के दौरान खरीदी गई संपत्तियाँ संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति मानी जावेगी। हस्तगत प्रकरण में सोने-चांदी का बृजलाल का व्यवसाय होना वादी और प्रतिवादी क्रमांक-1 का दुकान पर बैठना विक्रेता बदनसिंह और साक्षी रामप्रकाश ने शपथपत्रों में बताया है, जिसका खण्डन नहीं किया गया है। ऐसे में भी अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश उक्त मार्गदर्शन को देखते हुए प्रकरण में लागू होता है। अन्य जो न्यायदृष्टांत प्रसन्न कुमार जैन विरुद्ध बसंत वामन राव 2009(3) एम०पी०एल०जे०-67 पेश किए जो वादी प्रतिवादी के मध्य की दीवाल से संबंधित हैं वह प्रकरण के तथ्यों की भिन्नता के कारण लागू नहीं होते हैं।

14. वहीखाते की जो नकल वादी/प्रत्यर्थी ने पेश की उसका क्या प्रभाव होगा यह भी गुणदोषोंपर देखा जा सकेगा तथा वादी/प्रत्यर्थी राधेश्याम और माँ चन्द्रकली के बीच धारा 178 एम०पी०एल०आर०सी० के तहत सहमति के आधार पर चला बंटवारा प्रकरण क्रमांक 2/3-4/अ-27 आदेश दिनांक 11.12.2003 जिसमें राधेश्याम और चन्द्रकली दोनों ने अपने शपथपत्रों और कथनों में अन्य कोई भाई बहिन न होना अर्थात् राधेश्याम इकलोती संतान होना बताया है उसके इस आचरण का प्रभाव भी गुणदोषों पर देखा जावेगा। वर्तमान सिविल अपील अस्थाई व्यादेश के बिन्दु पर है जिसमें उक्त प्रश्न का निराकरण नहीं किया जा सकता है।

15. बेनामी संव्यवहार मूल वाद में वादी/प्रत्यर्थी बताकर आया है उसके बाबत उत्पन्न बिन्दुओं के गुणों पर ही निराकरण संभव है। मान्नीय म०प्र० उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत कृष्णकुमार विरुद्ध नर्मदाप्रसाद साहू

2001(1) एम0पी0एल0जे0- 523 में बेनामी संव्यवहार के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए यह अभिमत दिया है कि बेनामी विक्रय का व्यवहार धारित करने के लिए कोई निश्चित फॉर्मूला या टेस्ट नहीं है यह प्रत्येक प्रकरण की परिस्थितियों की संभावनाओं के आधार पर निश्चित करना होता है जिसके लिए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना चाहिए:-

- ए- क्रय हेतु राशि कहाँ से आई?
- बी- क्रय के पश्चात संपत्ति का स्वरूप या स्वामित्व क्या रहा?
- सी- लेनेदेने को बेनामी रूप देने का उद्देश्य क्या था?
- डी- पक्षकारों की स्थिति एवं दावेदारों ओर कथित बेनामीदारियों के बीच संपत्ति कैसी है।
- ई- विक्रय उपरान्त विक्रय अभिलेख की अभिरक्षा की क्या स्थिति है?
- एफ- विक्रय पश्चात संपत्ति के लेनदेन से संबंधित पक्षकारों का केसा आचरण रहा ?

16. इस प्रकार से उक्त प्रस्तुत विविध सिविल अपील में अपीलार्थीगण द्वारा लिए गये आधारों को उक्त परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि प्रश्नगत विक्रयपत्र दिनांकित 30.04.1985 में केवल सुरेशचंद्र द्वारा सम्पूर्ण प्रतिफल दिया जाना लेख है जबकि क्रेता अशोक कुमार भी बराबरी का क्रेता है जो टयूशन की कमाई राशि से भूमि खरीदना बताता है और उसकी ओर से कोई प्रतिफल दिया गया ऐसा विक्रयपत्र में उल्लेख नहीं है। ऐसे में विक्रयपत्र की उक्त टीप जांच की विषय वस्तु हो जाती है तथा सुरेशचंद्र अपनी पत्नी के स्त्री घन का भी विवरण नहीं देता है न ही उसकी पत्नी का समर्थन में कोई शपथपत्र है। ऐसी स्थिति में अंतरण निषेधित किए जाने की प्रदत्त सहायता अनुचित भी नहीं कही जा सकती है।

17. **न्यायदृष्टांत प्रिया ठकराल विरुद्ध अमरसिंह**
1998(2) एम0पी0डब्लू0एन0 125 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि व्यर्थ की पेंचीदगियां या वाद बाहुल्यता को रोकने के लिए अंतरण को निषेधित किया जाना चाहिए।

18. इस प्रकार उक्त समग्र विश्लेषण से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.11.2013 पुष्टि योग्य है और उसमें कोई हस्तक्षेप, परिवर्तन की आवश्यकता होना नहीं पाई जाती है। फलतः प्रस्तुत विविध सिविल अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

19. उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

20. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर परिशिष्टानुसार नियत की जाती है।

उपरोक्तानुसार व्यय तालिका बनायी जावे ।

दिनांक: 26 जुलाई, 2014

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व

हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड